

श्री विकास उर्वरी अंचल आवेकारी तापचांची-सह-

प्रमाण पत्र पदाधिकारी का

न्यायालय, धनबाद

प्रमाण-पत्र वाद सं० ०३/२०१९-२०

३ - १३७५०८

श्री कुलास भट्टा पिता

ग्राम ता. कवठ थाना तापचांची

जिला धनबाद के प्रमाण सं० १८/२०१०-११ में सामग्री भुगतान पर अग्रिम की

वसूली हेतु अधियाचन पत्र दायर किया है। इनमें संलग्न विवरणी के अवलोकन से स्पष्ट होता है

कि यह मांग वसूली योग्य है। इसकी वसूली विधि वर्जित नहीं है। लोक मांग वसूली अधिनियम का

धारा ५ के अंतर्गत में संतुष्ट हूँ। इसे पंजी १० में दर्ज करें। अधिकांश प्रवण विकास

पदाधिकारी तापचांची (चक्रवर्त) महरंगा

धारा - ७ के अंतर्गत प्रमाण पत्र देनदार के विरुद्ध सूचना जारी करें।

अभिलेख दिनांक २३/११/१९ को प्रस्तुत करें।

अभिलेख उपर्युक्त १. संलग्न वॉच/२/२०१९ में
प्रमाण पत्र हेतु (प्र. ५) प्र. ११ में
अभिलेख २३/३/२०१९ को रखें।

प्रमाण-पत्र पदाधिकारी
धनबाद।

अभिलेख उपर्युक्त १. प्रवण विकास पदाधिकारी तापचांची के
पत्रां २५ (१) दिनांक २०/०२/२५ द्वारा सुनिश्चित किया गया है कि
देनदार द्वारा जारी किए गए वॉच निर्णय के अलावा न उठाया कि
राश्री महरंगा आधिकारिक निधि में जमा कर दिया गया फलस्वरूप
तापचांची मुक्त करने की अनुमति दी गई है।

अतः वॉच का बहिष्कार भी जारी है

२३/११/१९
अति अति
सह

निर्णय पत्र ५६०